न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री एल0एन0 सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 23/2017/अपील/आर्म्स/कोटा
दायरा दिनांक 3.4.2017
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

चन्द्रशेखर गौतम आत्मज बृजमोहन गौतम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा (राज0)।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री कैलाशचन्द शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 18.11.2019

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश कमांक/न्याय/16/4692 दिनांक 19.9.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा एक रिवाल्वर/पिस्टल बन्दूक शस्त्र चाहने हेतु अधीनस्थ कार्यालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण की रिपोर्ट पत्र कमांक/ 3975 दिनांक 14.7.2016 मे आवेदक की जान को कोई गम्भीर एंव तात्कालिक खतरा नही पाये जाने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित नही होना वर्णित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 31.3.2010 अनुसार मे "जांच के दौरान आवेदक को तात्कालिक एवं गम्भीर खतरा पाये जाने की दशा मे ही शस्त्र अनुज्ञापत्र के आवेदन पत्र पर विचार किया जावे"। के मध्यनजर पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण की रिपोर्ट के दृष्टिगत शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को आलौच्य आदेश

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

क्रमांक/न्याय/16/4692 दिनांक 19.9.2016 से निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आर्म्स एक्ट मे निहित प्रावधानो एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलार्थी को तात्कालिक एवं गम्भीर खतरा नही पाये जाने का आधार लेते हुये लाईसेन्स आवेदन पत्र को खारिज किया है जबकि अपीलार्थी ने उक्त संबध मे एक शपथ–पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया था उक्त कारण से आलौच्य आदेश निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी का खेत अपने घर से लगभग 15 किमी की दूरी पर स्थित है उसकी देखभाल के लिये देर रात तथा अनिश्चित समय पर आना जाना होता है। खेत के आस पास गेर जातीय समुदाय के खेत होने से उसको अपने खेत पर आने जाने मे भारी संकटों का सामना करना पडता है तथ एक अनिश्चित भय का माहौज बना रहता है जिससे अपीलार्थी कृषक होने के बावजूद कृषि कार्य करने मे असमर्थ हो जाता है। अपीलांट के गांव मे भी गैर जातीय समुदाय का संख्याबल अधिक होने के कारण स्वयं को असुरक्षित एवं भय के ग्रसित होने के कारण अत्याधिक तनाव मे रहता है तथा सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है। उक्त तथ्यों के संदर्भ मे कोई जानकारी नहीं ली गई अन्यथा तत्समय अधिकारी को यह आसानी से जानकारी मे आ जाता कि अपीलांट व उसका परिवार हमेशा ही असुरक्षा के माहौल मे रहने को मजबूर है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किये बिना आवेदन पत्र के खारिज करने मे त्रुटि की है। जेरअपील आदेश की जानकारी दिनांक 16.1.2017 को होने पर नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त होने पर अपील पेश की गई। अतःडिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2016/4692 दिनांक 19.9.2016 निरस्त करते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई। xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये प्रकट किया कि अपीलार्थी का खेत निवास स्थान से 15 किमी की दूरी पर है। कृषि कार्य एंव देखभाल हेतु देर रात आना जाना पडता है। अपीलांट के गांव मे एवं खेत के आस पास गैर जातीय समुदाय का संख्याबल अधिक होने के कारण स्वयं को असुरक्षित एवं भय ग्रसित होने से अत्याधिक तनाव मे रहता है तथा सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है। उक्त तथ्यों के संदर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जानकारी नहीं ली गई अन्यथा तत्समय उक्त तथ्य आसानी से जानकारी मे आ जाते कि अपीलांट एंव उसका परिवार हमेशा ही

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

असुरक्षा के माहौल मे रहने को मजबूर है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किये बिना आलौच्य आदेश से आवेदन पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त कर शस्त्र आवेदन पत्र स्वीकार कर शस्त्र जारी करने का आज्ञा प्रदान की जावे ।xx

4 विद्वान राजस्कीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 31.3.2010 अनुसार "जांच के दौरान आवेदक को तात्कालिक एवं गम्भीर खतरा पाये जाने की दशा मे ही शस्त्र अनुज्ञापत्र के आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कोटा द्वारा दौराने जांच आवेदक की जान को कोई गम्भीर एवं तात्कालिक खतरा नही पाये जाने के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने के आवेदन पत्र को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया गया। अतः अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। आलौच्य आदेश पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के पत्र कमांक 3975 दिनांक 14.7.2016 के अनुसार आवेदक की जान को कोई गम्भीर एवं तात्कालिक खतरा नही पाये जाने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जाना उचित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि उसको देर रात तक कृषि कार्य हेतु खेत पर आना जाना पडता है अपीलांट के गांव मे एवं खेत के आस पास गैर जातीय समुदाय का संख्याबल अधिक होने के कारण स्वयं को असुरक्षित एवं भय ग्रसित होने से अत्याधिक तनाव मे रहता है तथा सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है। उक्त तथ्यों के संदर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जानकारी नहीं ली गई। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख पुलिस रिपोर्ट कमांक 3975 दिनांक 14.7.2016 के अनुसार आवेदक को कोई गम्भीर एवं तात्कालिक खतरा नही होना वर्णित करते हुये मुक0 सं0 113/04 धारा 336,337,504,34 ता0हि0 मे न्यायालय द्वारा धारा 504 मे

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

दोषसिद्ध व धारा 336, 337 मे दोषमुक्त किया जाना वर्णित करते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित नही होना अंकित किया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 18.3.2015 के चरण क्रम–3 मे प्रकरण सं0 113/2014 मे माननीय न्यायालय द्वारा धारा 336, 337, 504, 34 आईपीसी मे दिनांक 30.10.2010 को दोषमुक्त किया जाना वर्णित किया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पुलिस रिपोर्ट मे वर्णित उक्त तथ्य परस्पर विरोधाभाषी होना प्रकट होता है। इसी प्रकार आदेशिका मे प्रभारी अधिकारी की टिप्पणी ''खारिज किया जाना प्रस्तावित'' पर सहमति दी गई है। कोई आदेश पारित किया जाना प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे आलौच्य आदेश क्रमांक/न्याय/16/4692 दिनांक 19.9.2016 स्पीकिंग आदेश की श्रेणी मे नही माना जा सकता। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/16/4692 दिनांक 19.9.2016 स्पीकिंग आदेश नही होने से अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण सं0 113/2014 मे धारा 504 आईपीसी के संदर्भ मे अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र मे विवेचित तथ्य एवं पुलिस जाच रिपोर्ट मे वर्णित तथ्य के परस्पर विरोधाभाष होने से वस्तुस्थिति की पुनः जांच कराई जाकर अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण मे विधिसम्मत एंव स्पष्ट स्पीकिंग आदेश पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0 एन0 सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा